

8-318 लेख लेखर के प्रतिनिधि उग्र है।
साध्य प्रत्युत करते हुए तद्विषयक गंगापुर के
लिख लाकर पत्रावली दि 10-4-18 को पेश हो।

4239-4240
7-5-18

8-518 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/
अपीलार्थी/रेस्पोंडेन्ट/अप्रार्थी/उभयपक्ष
उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् बीरसीन
अधिवक्ता नगण पर हैं/अधिवक्ता पर हैं/अन्य
कार्यों में व्यस्त हैं/काम समाप्त हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8-5-18
को पेश हो।

रीडर

8-518 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/
अपीलार्थी/रेस्पोंडेन्ट/अप्रार्थी/उभयपक्ष
उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् बीरसीन
अधिवक्ता नगण पर हैं/अधिवक्ता पर हैं/अन्य
कार्यों में व्यस्त हैं/काम समाप्त हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14-5-18 कैम्प नारायणपुर
को पेश हो।

रीडर
कालागठ काठ
डिप्टी प्रमाण

14-5-18 पत्रावली आज दि 01-4-518 को राजस्व
लोक अदालत कैम्प नारायणपुर पर पेश हुई।
लेख लेखर तद्विषयक गंगापुर सिटी व प्रतिवादी
वामकिशन उपस्थित हैं। पक्षकारों ने राजीनामा
इस आशय का पेश किया है कि अप्रार्थी
रामकिशन उमाह के अन्दर विवादित भूमि
जिस पर टावर लगा हुआ है, का संपरिवर्तन
5.00. साहब के यहां फाइल लगाकर करवा
लेगा। यदि अप्रार्थी उमाह में इस बाबत
कोई कार्यवाही न करे तो विवादित भूमि को
सिवायक के रूप में सरकारी भूमि दर्ज कर दी
जावे।

प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर प्रकरण
निर्णित किया जाता है एवं आदेश दिया जाता
है कि बवातेदारान रामकिशन, सम्पत पिला
दजारी जाति मीना द्वारा उनकी स्वातेदारी




प्र के प्रतिनिधि
दि 22-8-17

दिनाली/
उभयपक्ष
बीरसीन
अधिवक्ता
नगण पर हैं।
26-9-17
रीडर

कैम्प लेख 437-150

रे काश्य
हो

साध्य
को लिखा
हो

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुकम में जज
	<p> की भूमि रकम नं० २१० रकम ०.३५ हैंग्राम नारायणपुर में जितनी वर्गमीटर भूमि में मोबाइल टावर स्थापित किया है, उसका वे तीन माह में सशम अधिकारी से भूमि रूपान्तरण करा लें। तीन माह में भूमि रूपान्तरण नहीं करवाने की स्थिति में उपरोक्त मोबाइल टावर ^{रकम नं० २१० में} जितनी भूमि पर लगा हुआ है, उतनी भूमि स्वामिदारान के स्वामि से कम कर सिवायचक दर्ज कर दी जावे। पचा डिग्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल श्रुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। </p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  (रवि कुमार शर्मा) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी </div> <div style="text-align: center;">  (सुरेश कुमार शर्मा) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी </div> <div style="text-align: center;">  (अनुराग लाल जास) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी </div> </div>	<p> च्याया गंगासी लेण राम स सुक से प्र ले श्र </p>

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पोस्टल अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) नारायणपुर टटवाडा

अधिकारी-: बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

उनवान

—वादी

तहसीलदार गंगापुर सिटी

बनाम

—प्रतिवादीगण

पुत्र हजारी मीना निवासी नारायणपुर तह0 गंगापुर सिटी

पुत्र हजारी मीना निवासी नारायणपुर तह0 गंगापुर सिटी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 आर. टी. एक्ट

दिनांक - 29/2013

वादी की ओर से वादी लेण्ड होल्डर (तहसीलदार गंगापुर सिटी) की व प्रतिवादी की ओर प्रतिवादी कमिश्नर की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 14.5.2018 को बाबूलाल जाट (उपखंड अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि वादी को दे जाती है कि

उक्त अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार भूमि ख.न. 210 रकबा 0.34 हेक्टर गंगापुर मे जितने वर्गमीटर भूमि मे मोबाइल टावर स्थापित है, का प्रतिवादीगण 3 मास के अंदर में वाणिज्यिक रूपान्तरण करा लेगे। भूमि रूपान्तरण नही कराने की स्थिति में उक्त भूमि मे से जितनी भूमि पर टावर लगा हुआ है उक्त टावर वाली भूमि को उक्त अदालत मे दर्ज कर दी जावेगी। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

उक्त अदालत अपना अपना वहन करेगे।

तारीख 14.5.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी



बाबूलाल जाट
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी
कलेक्टर

वाद के खर्चे

	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			
अर्जी के लिए स्टाम्प			
प्लीडर की फीस			
साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय			
आदेशिका की तामील			
कमिश्नर की फीस			
		जोड	

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

